राजस्थान राज्य

बनाम

दर्शन सिंह उर्फ दर्शन लाल

वर्ष 2007 की आपराधिक अपील संख्या 870

21 मई, 2012

बेंच: डॉ0 बीएस चौहान, दीपक मिश्रा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 119 एवं 118-बहरे एवं गूंगे गवाह- साक्ष्यात्मक मूल्य-प्रतिपादितः -एक बहरा और गूंगा व्यक्ति सक्षम गवाह है-यदि उसे शपथ दिलाई जा सकती है, तो न्यायालय द्वारा यह किया जाना चाहिए- अगर ऐसा कोई गवाह पढने और लिखने में सक्षम है, लिखित रुप में प्रश्न करके एवं लिखित रुप में ही उत्तर लेकर उसके बयान को रिकॉर्ड करना वांछनीय है-यदि गवाह पढने और लिखने में सक्षम नहीं है, तो उसके बयान को दुभाषिया, जो उसी परिवेश का व्यक्ति होना चाहिए, की सहायता से सांकेतिक भाषा में दर्ज किया जा सकता है लेकिन मामले में उसका कोई हित नहीं होना चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए -तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने हालांकि एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो बहरा और गूंगा था, के आधार पर 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये अभियुक्त को दोषी ठहराया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अभियुक्त को बरी कर सही

किया है-एकमात्र चश्मदीद गवाह और उसके पिता, जिन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड होते समय दुभाषिया की भूमिका निभाई थी, उनको शपथ नहीं दिलाई गई-पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर है कि एकमात्र चश्मदीद पढने और लिखने में सक्षम था और विचारण न्यायालय में यह तथ्य साबित भी हो गया था लेकिन उनका बयान लिखित में दर्ज नहीं किया गया - उसे प्रश्न लिखित रुप में नहीं दिये गये और उनके उत्तर लिखित रुप में देने का अवसर भी नहीं दिया गया- उसका बयान उसके पिता की मदद से दुभाषिया के रुप में दर्ज किया गया, जो एक हितबद्व गवाह थे- इस प्रकार, सबूत अविश्वसनीय थे और उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ दिया और अभियुक्त को बरी कर दिया-शपथ अधिनियम, 1969 धारा 4 और 5 दण्ड संहिता, 1860

धारा 302 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-बरी करने का आदेश - अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप -प्रतिपादितः- अपीलीय अदालत दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं और अपीलाधीन निर्णय गलत पाया गया- अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की उपधारणा ध्यान में रखना चाहिए और विचारण न्यायालय के बरी करने से उसकी बेगुनाही की उपधारणा को सहारा मिलता है- जहां दूसरा दुष्टिकोण संभव हो, सामान्य तरीके से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिये अच्छे कारण न हों,- तथ्यों के आधार पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का उचित मामला नहीं है।

विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अभियोजन गवाह नंबर 16 (पीडब्ल्यू 16) के पति की हत्या करने के लिये आईपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दोषी ठहराया। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू 16 के साक्ष्य पर एवं विभिन्न जब्तियों पर भरोसा जताया- पीडब्ल्यू 16 एकमात्र घटना की चश्मदीद गवाह थी और वह गूंगी बहरी थी जिस कारण उसका बयान सांकेतिक भाषा में दुभाषिया के रुप में उसके पिता पीडब्ल्यू 1 की मदद से दर्ज किया गया था। व्यथित अभियुक्त ने अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया तो अपीलकर्ता-राज्य ने अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा:

1.1 मौजूदा मामले में, पीडब्ल्यू 16 को शपथ नहीं दिलाई गई न ही पीडब्ल्यू 1, उसके पिता जिसने दुभाषिया के रुप में अदालत में बयान दर्ज किया था, को शपथ दिलाई गई। शपथ अधिनियम, 1969 के धारा 4 और 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमेशा गवाह की विश्वसनीयता के लिए शपथ दिलाना या बयान दर्ज किया जाना आवश्यक है। गवाह से शपथ दिलाने का मुख्य उददेश्य है कि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिए दायी ठहराया जा सके और गवाह को साक्ष्य की गंभीरता का ध्यान दिलाना है और उस पर आगे भी सच बोलने का कर्तव्य थोपना है, ऐसे मामले में विश्वसनीयता महत्वपुर्ण है, स्वीकार्यता नहीं। अतः

शपथ अधिनियम 1969 के धारा 7 के प्रावधानों को मददेनजर रखते हुए, शपथ दिलाये जाने की चूक या पुष्टिकरण किसी भी साक्ष्य को अमान्य नहीं करता है। (पैरा-16)

रामेश्वर पुत्र कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1952 एससी 54- विश्वास किया गया

एम पी शर्मा एवं अन्य बनाम सतीशचन्द्र जिला न्यायाधीश, दिल्ली एवं अन्य एआईआर 1954 एससी 300, 1954 एससीआर 1077-प्रस्तुत किया गया

1.2 साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों को लागू करने का उददेश्य है कि पहले कानून में बहरे और गूंगे व्यक्तियों को नासमझ माना जाता था। हालॉकि, इस तरह का दुष्टिकोण बाद में इस कारण से बदल दिया गया कि आधुनिक विज्ञान ने खुलासा किया कि ऐसी कमियों से प्रभावित लोग आम तौर पर अधिक बुद्धिमान पाये जाते हैं और जितना माना जा सकता है, उनकी तुलना में कहीं अधिक उच्च संस्कृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब एक बहरे और गूंगे व्यक्ति की अदालत में जांच की जाती है, अदालत को सावधानी बरतते हुए उचित कारवाई करनी होती है और उसकी जांच करने से पहले सुनिश्चित करने का ध्यान रखें कि उसके पास अपेक्षित मात्रा में समझ है और वह शपथ की प्रकृति को समझता है। इस पर संतुष्ट होकर, गवाह को उचित माध्यम से शपथ दिलाई जा सकती

है और उसे एक दुभाषिया की सहायता भी दी जा सकती है। हालॉकि, कोई व्यक्ति पढने और लिखने में सक्षम है तो उस मामले में प्रश्न लिखित में देकर उत्तर लिखित में प्राप्त करने की विधि अपनाना किसी भी सांकेतिक भाषा से अधिक संतोषजनक है एवं वांछनीय हैं। कानून की आवश्यकता है कि संकेतों का रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि संकेतों की व्याख्या।(पैरा 18) (31-8-डी)

मीसाला रामकृष्ण बनाम आंध्र पदेश राज्य (1994) 4 एससीसी 182

1.3 भाषा शब्दों से कहीं अधिक है। सभी भाषाओं की तरह, संकेतों के माध्यम से बातचीत की कुछ अंतनिर्हित सीमाएॅ होती हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता क्या कहना चाह रहा है समझना कठिन हो सकता है लेकिन एक गूंगे व्यक्ति को विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह बनने से केवल इसलिये रोकने की जरुरत नहीं है कि वो शारीरिक रुप से अक्षम है। ऐसा व्यक्ति बोलने में असमर्थ होते हुए भी पढा लिखा है तो लिखकर, यदि वह पढने और लिखने में असमर्थ है तो संकेतों और इशारोंं के माध्यम से भी अपनी बात कह सकता है। इसका एक उदाहरण मूक फिल्में हैं जिन्हें व्यापक रुप से समझा जाता था क्योंकि वे संकेतों और इशारोंं के माध्यम से लोगों तक विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम थीं। सशक्त शारीरिक भाषा और चेहरे की अभिव्यक्ति ने दर्शकों को इच्छित संदेश को समझने में सक्षम बनाया।(पैरा 20)(32-ए-सी)

1.4 एक बहरा और गूंगा व्यक्ति एक सक्षम गवाह है। यदि न्यायालय की राय में उसे शपथ दिलाई जा सकती है तो ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा साक्षी, यदि पढने लिखने के लिये सक्षम हो तो उनका बयान लिखित रुप में प्रश्न लेकर और लिखित रुप में उत्तर लेकर दर्ज करना वांछनीय है। यदि गवाह पढने और लिखने में सक्षम नहीं है तो यदि आवश्यक हो तो दुभाषिया की सहायता से उसका बयान सांकेतिक भाषा में दर्ज किया जा सकता है। यदि दुभाषिया उपलब्ध कराया गया है, तो वही आसपास का व्यक्ति होना चाहिए लेकिन मामले में उसका कोई हित नहीं होना चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए। (पैरा 21) (32-डी-ई)

1.5 मौजूदा मामले में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध है कि एकमात्र चश्मदीद अभियोजन गवाह नंबर 16 (पीडब्ल्यू 16) पढने और लिखने में सक्षम था और यह तथ्य विचारण न्यायालय में साबित हो गया जब उसने अपने पिता का टेलीफोन नंबर लिखा। यह समझा नहीं जा सकता कि उसका बयान लिखित रुप में क्यों दर्ज नहीं किया जा सका यानी उसे लिखित में प्रश्न और उसका उत्तर लिखित देने का अवसर दिया जा सकता था। उसका बयान उसके पिता की मदद से एक दुभाषिया के रुप में दर्ज किया गया, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से, एक हितबद्व गवाह होने के कारण बयान के दौरान उसके द्वारा बिना शपथ दिलाए की गई सहायता साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती है। ऐसी तथ्य-स्थिति में, उच्च न्यायालय ने ठीक ही संदेह का लाभ दिया और अभियुक्त

को बरी कर दिया। (पैरा 22,23) (32-एफ-एचः33 ए)

1.6 असाधारण मामलों में, जहां विशेष् परिस्थितियां होती हैं और अपीलाधीन फैसला गलत पाया जाता है, इसमें अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की उपधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और विचारण न्यायालय के बरी करने से इस उपधारणा को बल मिलता है। सामान्य तरीके से हस्तक्षेप, जहां अन्य दुष्टिकोण सम्भव है, बचना चाहिए जब तक कि हस्तक्षेप के वहां अच्छे कारण ना हो। (पैरा 24)(33-8-सी)

1.7 उक्त कानूनी स्थिति के आलोक में उच्च न्यायालय के फैसले की जांच के पश्चात यह उपयुक्त मामला नहीं है, जिसमें बरी करने के आदेश पर हस्तक्षेप किया जाए।

केस कानून संदर्भ

ए आई आर 1952 एस सी (रीलाईड ऑन पैरा 16)

1954 एएसीआर 1077 (रैफर्ड टू पैरा 17)

(1994) 4 एससीसी 182 (रैफर्ड टू पैरा 19)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 870/2007

2003 की डी बी क्रिमिनल अपील संख्या 96 में राजस्थान के उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 29.05.2006

अपीलकर्ता की ओर से डॉ0 मनीश सिंघवी, एएजी, मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ0 बी एस चौहान, जे

यह आपराधिक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित डीबी आपराधिक अपील संख्या 96/2003 में दिनांक 29.05.2006 के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गयी है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.1.2003 को रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया और आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 500 रुपये का जुर्माना भरने की व 500/- का जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा दी।

2. इस अपील को पेश करने के तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार हैं अभियोजन साक्षी 15 (पीडब्ल्यू15) बूटा सिंह ने 04.05.2001 को 1 बजे थाना हनुमानगढ जिला हनुमानगढ में एक मौखिक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि 3/4.05.2001 की मध्य रात्रि को लगभग 12:15 बजे जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू1) को डॉ अमरजीत सिंह चावला (पीडब्ल्यू4) का टेलीफोन आया कि जसवन्त सिंह की बेटी परेशान है और इसलिये उन्हें

तुरंत अपने दामाद काकू सिंह के घर पहुंचना चाहिए। रिपोर्टकर्ता बूटा सिंह (पीडब्ल्यू15) भी अपने बेटे गुरमेल सिंह के साथ मृतक काकू सिंह के घर की ओर चल दिए। वे गली में जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू1) और उनकी बेटी गीता (पीडब्ल्यू16) से मिले। घर का मुख्य दरवाजा बंद था लेकिन दरवाजे की खिडकी खुली थी। वे खिडकी से अंदर गये तो कुछ दूरी पर दो खाटें पडी हुई थी जिन पर ताजा खून रेत के साथ पडा हुआ था। उन्हें कमरे में रजाई से ढका हुआ खून से लथपथ काकू सिंह का शव भी मिला।

पूछे जाने पर, मृतक काकू सिंह की पत्नी गीता (पीडब्ल्यू16) (मूक बधिर) ने इशारों से बताया कि दर्शन सिंह, प्रत्यर्थी-अभियुक्त, रात में उनके साथ रुका था। उसने काकू सिंह को पानी के साथ एक गोली दी थी जिससे वह बेहोश हो गया। दर्शन सिंह के दो अन्य साथी व्यक्ति बाहर से आए और तीनों व्यक्तियों ने तेज धार वाले हथियारों से काकू सिंह को घायल कर दिया। गीता (पीडब्ल्यू16) डर गई और बाहर भाग गई। अपराध करने का मकसद यह था कि छिंद्री भाटनी का मृतक काकू सिंह के साथ अवैध सम्बन्ध था और घटना की तारीख से लगभग 8-10 महीने पहले काकू सिंह ने छिंद्री भाटनी के उकसाने पर गीता (पीडब्ल्यू16) को जला कर चोट कारित की थी। । हालांकि, समाज के लोगों के हस्तक्षेप के कारण, मृतक काकू सिंह ने छिंद्री भाटनी से अपना रिश्ता तोड लिया, जिससे नाराज होकर उसने अपने भाई दर्शन सिंह को अन्य लोगों के साथ भेजा था, जिन्होंने काकू सिंह की हत्या कर दी।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना हनुमानगढ में अभियुक्त के खिलाफ धारा 449,302,201,120बी आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 262/2001 दर्ज की गई और अनुसंधान शुरु हुआ। प्रत्यर्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसकी एक स्वैच्छिक सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने खून से सनी कुल्हाडी और कपडे बरामद किये जो अभियुक्त ने अपराध के समय पहने हुए थे।

अनुसंधान पुरा होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आरोप पत्र दायर किया और विचारण शुरु हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन पक्श ने 23 गवाहों के बयान कराये और साक्ष्य में कई दस्तावेज पेश किये। हालांकि गीता (पीडब्ल्यू16) घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी, बहरी और गूंगी होने के कारण, उसके बयान को दुभाषिया के रुप में उसके पिता जसवंत सिंह (पीडब्ल्यू1) की मदद से सांकेतिक भाषा में दर्ज किया गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने और विचारण की समाप्ति के बाद विचारण न्यायालय ने गीता (पीडब्ल्यू16) की साक्ष्य और बरामदगी आदि सबूतों पर भरोसा किया और दिनांक 15.01.2003 के फैसले और आदेश के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया और ऊपर उल्लेखित सजा दी।

व्यथित अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 96/2003 प्रस्तुत की जो दिनांक 29.05.2006 के आक्षेपित निर्णय

और आदेश द्वारा स्वीकार की गई।

इसलियेः यह अपील पेश हुई-

3. अपीलकर्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ0 मनीश सिंघवी ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन मामले को गीता (पीडब्ल्यू16), जसवंत सिंह (पीडब्ल्यू1), और बूटा सिंह (पीडब्ल्यू15) ने पूरी तरह से समर्थन दिया है जो चिकित्सकीय साक्ष्यों से पूरी तरह पुष्ट हुआ व डॉ0 राजेन्द्र गुप्ता (पीडब्ल्यू17) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है और अभियजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है इसलिये उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के तर्कसंगत फैसले को उलट कर गलती की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि गीता (पीडब्ल्यू16) के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बहरी और गूंगी है और उसका बयान साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक तत्वों के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू1) के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी नजर मृतक काकू सिंह की सम्पत्ति पर थी। हाईकोर्ट ने पूरे साक्ष्यों पर विचार किया और सही परिप्रेक्ष्य में उसका दोबारा विवेचन किया है। दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये निश्चित मानदंड हैं जो इस मामलें के

तथ्यों और परिस्थितियों में फिट नही बैठते हैं, इसलिये अपील खारिज होने योग्य है।

5. हमनें पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गयी दलीलों पर विचार किया और अभिलेखों का अवलोकन किया।

निःसंदेह मृतक काकू सिंह की मृत्यु एक मानववधिक मौत हुई है। डॉ राजेन्द्र गुप्ता (पीडब्ल्यू17) जिन्होंने काकू सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया, को निम्न चोटें मिली:-

1- चेहरे के सामने वाले क्षेत्र के दाहिने पार्श्व भाग पर 4.5‘‘ गुणा 1‘‘ हडडी तक गहरा फ्रेक्चर का कटा हुआ घाव

2-गर्दन में कटे हुए घाव की पूरी संरचना में कटा हुआ घाव 5.5‘‘ गुणा 2‘‘ हड्डी तक गहरा

उन्होंने कहा कि मौत का कारण गर्दन की नस, श्वासनली में चोट नंबर 2 के कारण आई चोट है जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त था।

6. एकमात्र प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या अभियुक्त को मृतक काकू सिंह की मृत्यु के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

गीता (पीडब्ल्यू16) अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह है। उसके अनुसार घटना वाले दिन शाम 6:30 बजे प्रत्यर्थी- अभियुक्त उसके घर आया। आरोपी और उसके पति ने एक साथ शराब पी । प्रत्यर्थी- अभियुक्त

ने पानी के गिलास में एक गोली मिला दी थी और वह उसके पति काकू सिंह ने ले ली थी। उसने उन दोनों को खाना परोसा और बाद में तीनों व्यक्ति एक ही कमरे में खाटों पर सो गए। रात के समय दो व्यक्ति भी प्रत्यर्थी- अभियुक्त के साथ शामिल हो गये। रात साढे 11 बजे आरोपी दर्शन सिंह ने अपने बैग से कुल्हाडी निकालकर उसके पति की गर्दन और गाल पर वार कर दिया। उसने शोर मचाया लेकिन आरोपी ने उसके बाल पकड लिये और कहा कि चुप रहो नहीं तो उसे भी मार दिया जावेगा। शव को आरोपी ने अपने साथ आए लोगों के साथ ले जाकर एक कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। अदालत में गवाह गीता (पीडब्ल्यू16) ने बता दिया कि वह पढ और लिख सकती थी और उसने अपने पिता जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू1) का टेलीफोन नंबर लिखा था। डॉ अमरजीत सिंह चावला (पीडब्ल्यू4) ने उसके कहने पर उसके पिता को सूचित किया। कुछ देर बाद जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू1) स्कूटर पर वहां आये और घटनास्थल देखा।

7. जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) ने बताया कि वह डॉ अमरजीत सिंह चावला (पीडब्ल्यू 4) से टेलीफोन कॉल प्राप्त करने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और काकू सिंह की हत्या के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने मृतक काकू सिंह के भाई बूटा सिंह (पीडब्ल्यू 15) को सूचित किया। जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) डॉ0 अमरजीत सिंह चावला(पीडब्ल्यू 4) के क्लिनिक पहुंचे, रास्ते में उनकी मुलाकात बूटा सिंह (पीडब्ल्यू 15) और उनके बेटे गुरमेल सिंह से हुई। वे मृतक काकू सिंह के घर पहुंचे और खून से सना

हुआ रेत देखा और काकू सिंह का शव रजाई से ढके कमरे में एक खाट पर पर पडा हुआ था। गीता (पीडब्ल्यू 16) ने उसे इशारोंं से सूचित किया कि प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह ने काकू सिंह को कुल्हाडी से मार डाला था जब काकू सिंह सो रहा था। उसने जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) को छिंद्री भाटनी के मृतक काकू सिंह के साथ अवैध सम्बन्ध के बारे में भी बताया और समाज के लोगों के हस्तक्षेप के कारण काकू सिंह ने छिंद्री भाटनी के साथ सम्बन्ध तोड दिया था जिससे बाद में वह नाराज हो गयी और उसने प्रत्यर्थी- अभियुक्त अपने भाई दर्शन सिंह के माध्यम से काकू सिंह की हत्या करवा दी।

8. मृतक काकू सिंह के भाई बूटा सिंह (पीडब्ल्यू 15) ने घटना के बारे में वही बताया जैसा कि जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) ने बताया था।

9. डॉ0 राजेन्द्र गुप्ता, (पीडब्ल्यू 1), जिन्होंने उक्त शव का पोस्टमार्टम किया था, ने अभियोजन पक्ष के मामले का इस हद तक समर्थन किया कि मृतक काकू सिंह की मृत्यु मानव वध से हुई थी।

10. बरामदगी के गवाह गुरतेज सिंह (पीडब्ल्यू 2) ने शव की जांच रिपोर्ट और मौके से टेबलेट की खाली स्ट्रिप,खून से सनी मिटी और साधारण मिट्टी और सांचे आदि को जब्त करने के बारे में बताया।

11. प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह के कहने पर कुल्हाडी (एक्सटेंशन पी-12) की बरामदगी के गवाह हरि सिंह (पीडब्ल्यू 7) ने उक्त बरामदगी की

सीमा तक अभियोजन मामले का समर्थन किया।

12. अनुसंधान अधिकारी रामजीलाल (पीडब्ल्यू 23) ने आधी रात को एफआईआर दर्ज करने की पूरी जानकारी दी और अनुसंधान के दौरान उठाए गए सभी कदमों, यहां उपर उल्लेखित बरामदगी, धारा 161 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के, बरामद सामग्री को एफएसएल रिपोर्ट के लिये भेजने और दर्शन सिंह प्रत्यर्थी- अभियुक्त आदि की गिरफतारी करने के बारे में बताया। ।

13. डॉ अमरजीत सिंह चावला (पीडब्ल्यू 4) ने बताया कि गीता (पीडब्ल्यू 16) ने उससे अपने पिता को टेलीफोन करने के लिये कहा था और उसने तदनुसार उसके पिता को सूचित किया था। कुछ देर बाद उसके पिता जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) स्कूटर पर आये। जिरह में, उसने बताया कि गीता (पीडब्ल्यू 16) गूंगी और बहरी थी, हालॉकि पढ और लिख सकती थी और उसने अपने पिता का टेलीफोन नंबर 55172 लिखा था, इस प्रकार वह अपने पिता से संपर्क कर सकती थी।

14. प्रत्यर्थी- अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा में सभी आरोपों से इंकार किया। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को भरोसेमंद पाया और उसके मददेनजर प्रत्यर्थी- अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे उपर बताए अनुसार सजा सुनाई।

15. उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों की पुनः विवेचना की और

निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

चश्मदीद साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य में बडे विरोधाभास थे। गीता (पीडब्ल्यू 16) के बयान के अनुसार मृतक काकू सिंह और प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह ने शाम को शराब पी थी, लेकिन चिकित्सकीय साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हुई। डॉ राजेन्द्र गुप्ता (पीडब्ल्यू 17) ने स्वीकार किया है कि यह साबित करने के लिये कुछ भी नहीं था कि मृतक काकू सिंह ने शराब पी थी। मृतक को नशे की गोली देने की उसकी बात चिकित्सकीय साक्ष्य से साबित नहीं हो सकी। विसरा को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था लेकिन रिपोर्ट से पता नहीं चला कि मृतक को किसी प्रकार का जहर दिया गया था।

गीता की कहानी (पीडब्ल्यू 16) भरोसेमंद प्रतीत नहीं होती क्योंकि उसने बताया कि आरोपी दर्शन सिंह, मृतक काकू सिंह और गवाह एक ही कमरे में सोए थे। यह स्वाभाविक था कि एक पति पत्नि किसी अजनबी को अपने साथ सोने की इजाजत नहीं देते थे, भले ही आरोपी दर्शन सिंह उन्हें जानता हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गीता और छिंद्री भाटनी के बीच सम्बन्ध कभी भी मधुर नहीं थे, यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि गीता(पीडब्ल्यू 16) छिंद्री भाटनी के भाई को उनके साथ सोने की अनुमति देगी।

गीता (पीडब्ल्यू 16) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि छिंद्री

भाटनी के 10 भाई थे और उनमें से कोई भी कभी उसके घर नहीं आया था। छिंद्री भाटनी मृतक और गीता के साथ एक ही घर में रहती थी। उसने आगे स्वीकार किया कि घटना की तारीख से पहले उसने प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह को कभी नहीं देखा था। यहां तक कि वह आरोपियों का हुलिया भी पुलिस को नहीं बता सकी, ऐसी परिस्थिति में सभी का एक साथ सोने का सवाल ही नहीं उठता।

प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह के पास मृतक काकू सिंह को मारने का कोई मकसद नहीं हो सकता है, क्योंकि गीता (पीडब्ल्यू 16) के बयान के अनुसार, काकू सिंह ने बहुत पहले छिंद्री भाटनी के साथ सम्बन्ध तोड दिया था।

प्रत्यर्थी- अभियुक्त दर्शन सिंह का नाम एफआईआर में नहीं मिला। उसमें आरोपियों का नाम छिंद्री भाटनी और उसका भाई बताया गया था।

जहां तक कुल्हाडी (प्रदर्श-12) की बरामदगी की सवाल है, इस पर विश्वास भी किया जावे तो इससे कोई फर्क नहीं पडता क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-64) के अनुसार उस पर कोई मानव रक्त नहीं पाया गया। इसलिये कुल्हाडी की बरामदगी की साक्ष्य को आरोपी के खिलाफ अभियोगात्मक परिस्थिति के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चला कि गीता (पीडब्ल्यू 16) और जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) को आशंका थी कि मृतक काकू सिंह अपनी

सिंचित भूमि छिंद्री भाटनी को दे देगा और इसलिये यह संदिग्ध हो गया कि क्या दर्शन सिंह प्रत्यर्थी- अभियुक्त का मृतक काकू सिंह की हत्या करने का कोई मकसद हो सकता है।

गीता (पीडब्ल्यू 16) की साक्ष्य उसके पिता जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) की मदद से संकेतिक भाषा में दर्ज की गयी थी। स्वीकृत तथ्य है कि दुभाषिया के रुप में कार्य करते समय न तो उसे और न ही उसके पिता को शपथ दिलाई गई थी। संकेतो को उसकी व्याख्या सहित दर्ज किया गया है। उसके द्वारा किये गये संकेतों की गलत व्याख्या की संभावना थी, क्योंकि उसके पिता जानबूझकर ऐसा कर सकते थे, गीता (पीडब्ल्यू 16) का बयान विश्वास योग्य नहीं था।

गीता की गवाही (पीडब्ल्यू 16) पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत के लिये किसी बहरे और गूंगे साक्षी के बयान किसी विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्ति की मदद के बिना लेना सुरक्षित नहीं था जो दैनिक जीवन के विचारों को इस तरीके से पहुंचाने के बारे में अच्छी तरह जानता हो। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति का उस मामले में हितबद्व व्यक्ति नहीं होना चाहिये। मौजूदा मामले में जसवन्त सिंह (पीडब्ल्यू 1) ने जांच में भाग लिया था और वह एक हितबद्व व्यक्ति था।

16. हमने पूरी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों से सहमत हैं।

मूल तर्क जो हमारे सामने दोनों पक्षों द्वारा दिया गया है वह एकमात्र चश्मदीद गवाह गीता (पीडब्ल्यू 16) की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता पर है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि गीता (पीडब्ल्यू 16) को शपथ नहीं दिलाई गई थी, न ही उसके पिता जसवंत सिंह (पीडब्ल्यू 1) को, जिन्होंने अदालत में उसका बयान दर्ज होने के समय दुभाषिया के रुप में काम किया था। शपथ अधिनियम 1969 की धारा 4 और 5 के प्रावधानों के मध्येनजर शपथ दिलाना हमेशा आवश्यक है या गवाह की पुष्टि पर बयान दर्ज किया जा सकता है। इस न्यायालय ने रामेश्वर पुत्र कल्याण सिंह बनाम राजस्थान सरकार एआईआर 1952 एससी 54 में स्पष्ट रुप से माना है कि शपथ दिलाने का मुख्य उददेश्य झूठे साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिये उत्तरदायी बनाना और गवाह को अवसर की गंभीरता को बताना और उस पर सच बोलने का कर्तव्य थोपना है। आगे ऐसे मामले केवल विश्वसनीयता को छूते हैं, स्वीकार्यता को नहीं।

हालॉकि शपथ अधिनियम 1969 की धारा 7 के प्रावधानों के मध्येनजर, शपथ या प्रतिज्ञान देने में चूक किसी भी साक्ष्य को अमान्य नहीं करती है।

17. एमपी शर्मा एवं अन्य बनाम सतीश चंद्र जिला मजिस्टेट दिल्ली वगै, एआईआर 1954 एससी 300, इस न्यायालय ने माना कि एक गूंगा

गवाह या उसके जैसे मामले में कोई व्यक्ति न केवल मौखिक साक्ष्य देकर बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या समझने योग्य इशारेे करके भी गवाह बन सकता है। (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें)

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों को लागू करने के उददेश्य से पता चलता है कि बहरे और गूंगे व्यक्तियों को पहले कानूनमें नासमझ माना जाता था। हालाँकि, इस तरह के दुष्टिकोण को बादमें बदल दिया गया है क्योंकि आधुनिक विज्ञान से पता चला है कि ऐसी कमियों से प्रभावित व्यक्ति आम तौर पर अधिक बुद्धिमान पाये जाते हैं और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामाजिक मूल्यो के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब अदालतमें किसी बहरे और गूंगे व्यक्ति की जांच की जाती है, तो अदालत को उचित सावधानी बरतनी होती है और जांच करने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके पास अपेक्षित मात्रा में समझ है और वह शपथ की प्रकृति को समझता है। इस पर संतुष्ट होेने पर गवाह को उचित माध्यम से शपथ दिलाई जा सकती है और वह भी दुभाषिया की सहायता से। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पढ लिख सकता है तो उस पद्धति को अपनाना सबसे अच्छा है जो किसी भी सांकेतिक भाषा की तुलना में अधिक संतोषजनक हो। कानून के अनुसार संकेतों का रिकॉर्ड होना चाहिए न कि संकेतों की व्याख्या का।

19. मीसाला रामकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1994, 4 एससीसी

182 में, इस न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति के संकेतों और सिर हिलाकर दर्ज किये गये मृत्यु पूर्व बयान के साक्ष्य मूल्य पर विचार किया है जो किसी कारण से बोलने की स्थिति में नहीं है और माना गया कि यह एक मौखिक बयान के बराबर है और इस प्रकार प्रासंगिक और स्वीकार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि केवल मुंह से बोला गया बयान 'मौखिक' बयान नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों के मध्येनजर एकमात्र आवश्यकता यह है कि गवाह अपना साक्ष्य किसी भी तरीके से दे सकता है जिसमें वह इसे समझने योग्य बना सके, जैसे कि लिखकर या संकेतों द्वारा, ऐसी साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत सिर हिलाकर किये गये संकेत और इशारेे स्वीकार्य हैं और ऐसे सिर हिलाने और इशारे न केवल स्वीकार्य हैं बल्कि उनका साक्ष्यात्मक महत्व भी है।

20. भाषा शब्दों से कहीं अधिक है, अन्य सभी भाषाओं की तरह, संकेतों के माध्यम से बातचीत में कुछ अंतर्निहित सीमाएॅं होती हैं क्योंकि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि उपयोगकर्ता क्या कहना चाह रहा है लेकिन किसी गूंगे व्यक्ति को केवल उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह बनने के रोका नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति बोलने में असमर्थ होते हुए भी साक्षर होने पर लिखकर या पढने लिखने में असमर्थ होने पर संकेतों और इशारोंं के माध्यम से अपनी बात कहा सकता है।

21. संक्षेप में, एक बहरा और गूंगा व्यक्ति एक सक्षम गवाह है। यदि न्यायालय की राय में उसे शपथ दिलाई जा सकती है तो ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा गवाह, यदि पढने लिखने में सक्षम है, तो उससे लिखित में प्रश्न पूछकर और लिखितमें उत्तर मांगकर उसका बयान दर्ज करना वांछनीय है। यदि गवाह पढने और लिखने में सक्षम नहीं है, तो यदि आवश्यक हो तो दुभाषिया की सहायता से उसका बयान सांकेतिक भाषा में दर्ज किया जा सकता है। यदि दुभाषिया प्रदान किया जाता है, तो वह उसी परिवेश का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन मामले में उसका कोई हित नहीं होना चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए।

22. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि गीता (पीडब्ल्यू 16) पढने लिखने में सक्षम थी और यह तथ्य विचारण न्यायालय में साबित हुआ जब उसने अपने पिता का टेलीफोन नंबर लिखा। हम यह समझने में असफल हैं कि उसका बयान लिखित रुप में क्यों दर्ज नहीं किया जा सका, यानि उसे लिखित रुप में प्रश्न दिये जा सकते थे और लिखित रुप में उसका उत्तर देने का अवसर दिया जा सकता था।

23. जैसा कि है , उसका बयान उसके पिता की मदद से एक दुभाषिया के रुप में दर्ज किया गया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों के से एक हितबद्व गवाह था जिसने परीक्षण, जांच के दौरान सहायता की थी जो बिना शपथ परिक्षित हुआ जिसने उसकी साक्ष्य को

अविश्वसनीय बना दिया। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने सही ही संदेह का लाभ दिया है और अभियुक्त को बरी कर दिया है।

24. हम दोषमुक्ति के विरुद्ध आदेश में हस्तक्षेप करने की अपनी सीमा में पूरी तरह अवगत हैं। असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां होती हैं और अपीलाधीन निर्णय गलत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की उपधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा विचारण न्यायालय से बरी होने से उसकी बेगुनाही की उपधारणा को बल मिलता है। जहां दूसरा दुष्टिकोण संभव हो, वहां सामान्य रुप से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिये अच्छे कारण ना हों।

25. यदि हम उपरोक्त कानूनी विवेचन के आलोक में उच्च न्यायालय के फैसले की जांच करते हैं, तो हम इसे बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं।

अपील में दम नहीं है, तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पंकज बंसल आर जे एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण की मान्य होगा।